

गणतन्त्र तहसीलदार कोटपुतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-20.12.19

सरकार बनारस उम्मेद सिंह

निर्णय

पञ्जाबी पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा नै एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत् 2076 में बाके ग्राम खडकी वीरमान तहसील कोटपुतली के ख० न०327/0.14 है0 किस्म गै0मू0 रास्ता में से 0.0050है0 पर उम्मेद सिंह पुत्र श्रीचन्द जालि जाट निवासी खडकी वीरमान नै फसल सरसों कार्त कर नाजायज रूप से अधिकमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सूचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पञ्जाबी में संलग्न दरतावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गैर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है ।

अतः गैरसायल उम्मेद सिंह पुत्र श्रीचन्द जालि जाट निवासी खडकी वीरमान नै बाके ग्राम खडकी वीरमान के खसरा नंबर 327/0.14 है 0किस्म जमीन गै0मू0 रास्ता की भूमि में से 0.0050है0 भूमि पर अधिकमण अवैध अधिकमण सिंह होता है अतः अधिकमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अधिकमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः गैरसायल उम्मेद सिंह पुत्र श्रीचन्द जालि जाट निवासी खडकी वीरमान तहसील कोटपुतली जिला जयपुर को बाके ग्राम खडकी वीरमान तहसील कोटपुतली के ख० न० 327/0.14 है, किस्म गै0मू0 रास्ता में से 0.0050है0 भूमि पर अधिकमी धांधिल किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बोर्डे गई फसल सरसों को निगम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अधिकमण





निर्वाच आल दिनाक 20.12.19 को सरे इजलास सिनाया गया ।

पञ्चावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।
जाही हो तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे । निर्वाचानुसार कार्यावली पूर्ण हो कर
किया जाता है मूँ-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी इल्का को वारते निगामी, बेदखली आदेश
करने के आरोप में लगान राशी 0.02 रु. का पचास गुणा 1 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना